Helpline No:- +91 7597122440

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड, जयपुर (राज॰) - 302026

वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्सः 0141 -2850551–75

कमांक : प (   ) जरारासंविवि / शै.मी. / 21 / 4917 दिनांकः– 10/XI/2021

कार्यपरिषद की 67 वीं बैठक दिनांक 05.10.2021 मध्यान्ह् 01.30 बजे का

कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 67 वीं बैठक दिनांक 05.10.2021 को मध्यान्ह् 01.30 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन स्थित सभाकक्ष में माननीया कुलपति महोदया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय–सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रहीः–

1 प्रो0 रामकिशोर शास्त्री, श्री वैष्णव आश्रम, दारागंज, प्रयागराज–211006 (उ.प्र.)
2 डॉ0 माताप्रसाद शर्मा, सह आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, जरारासंविवि, जयपुर।
3 श्री संदेश नायक, निदेशक एवं आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान–सरकार, जयपुर (A)
4 डॉ0 कैलाशचन्द शर्मा, सहायक आचार्य, ज्योतिष विभाग, जरारासंविवि, जयपुर। (A)
5 श्री उमेद सिंह, वित्त नियंत्रक एवं कार्यवाहक कुलसचिव, सदस्य सचिव (पदेन), जरारासंविवि, जयपुर।

डॉ0 माताप्रसाद शर्मा, सह आचार्य शिक्षा के मंगलाचरण के साथ कार्यपरिषद–बैठक की कार्यवाही आरम्भ हुई, जिसमें निम्नानुसार बिन्दुओं पर विचारविमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिये गयेः–

बिन्दु संख्या	बिन्दु	निर्णय
67–1	कार्यपरिषद् की 66वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	बिन्दु सं0 66(4) के अतिरिक्त समस्त बिन्दुओं के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। बिन्दु सं0 66 (4) के संदर्भ में कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि चूंकि विश्वविद्यालय में कुलसचिव राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आते हैं और उनके (कुलसचिव) लिये विश्वविद्यालय में निर्मित आवास आवंटित है, इसलिये जितने समय जो–जो कुलसचिव इस विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर रहे, उनसे वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.6(4)वित्त / नियम / 2017 दिनांक 30 जुलाई, 2021 के अनुसार नियमानुसार एचआरए की ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा की जावे।
67–2	सहायक कुलसचिव, संस्थापन शाखा से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 1951 दिनांक 23.07.2021, जिसमें शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राजभवन के निर्देशों के क्रम में राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति की पालना एवं रोस्टर रजिस्टर संधारित करने हेतु दिशा निर्देश तैयार करने हेतु गठित समिति द्वारा "Rules for Implementation of Reservation and Maintenance of Roster Considering University as one unit for the	बैठक में उपस्थिति माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रेषित रोस्टर को यथावत स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की और इस संदर्भ में राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर शीघ्रातिशीघ्र विज्ञापन जारी कर नियुक्तियों हेतु मा0 कुलपति महोदया को अधिकृत किया ।

	purpose of Direct Recruitment of the post of teaching and equivalent cadres" तैयार प्रारूप का अनुमोदन कार्मिक विभाग, राज्य सरकार के सक्षम स्तर एवं राजभवन सचिवालय द्वारा पत्रांक 3028 दिनांक 16.07.2021 द्वारा किया गया है। अतः राजभवन सचिवालय/राज्य सरकार से प्राप्त उक्त नियमों/दिशा–निर्देशों को रोटेशन के द्वारा इस विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव विचारार्थ/निर्णयार्थ।	
67–3(i)	सत्र 2020–21 के लिए पीजीडीसीए पाठ्यक्रम संचालन बाबत् अस्थाई संबंद्धता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23(2)(ख) के अनुसार महाविद्यालयों की संबंद्धता के आवेदनों का निपटारा करने हेतु संबद्धता समिति की बैठक दिनांक 05.07.2021 की अनुशंषा उपरान्त नियमानुसार संबंद्धता शुल्क प्राप्ति, निरीक्षण बोर्ड एवं कार्यपरिषद् की स्वीकारता की शर्त पर श्री परशुराम शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, गंगापुरसिटी (सवाई माधोपुर) को अस्थाई संबद्धता अभिवृद्धि प्रदान किये जाने हेतु शैक्षणिक शाखा के कार्यालय आदेश क्रमांक 2573–77 दिनांक 18.08.2021 अनुमोदनार्थ।	कार्य परिषद् के मा0 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से तीनों प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।
(ii)	सत्र 2020–21 के लिए शास्त्री/आचार्य स्तर पर पाठ्यक्रम संचालन बाबत् अस्थाई संबंद्धता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23(2)(ख) के अनुसार महाविद्यालयों की संबंद्धता के आवेदनों का निपटारा करने हेतु संबद्धता समिति की बैठक दिनांक 05.07.2021 की अनुशंषा उपरान्त नियमानुसार संबंद्धता शुल्क प्राप्ति, निरीक्षण बोर्ड एवं कार्यपरिषद् की स्वीकारता की शर्त पर श्री परशुराम शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, गंगापुरसिटी (सवाई माधोपुर) को अस्थाई संबद्धता अभिवृद्धि प्रदान किये जाने हेतु शैक्षणिक शाखा के कार्यालय आदेश क्रमांक 2592–98 दिनांक 18.08.2021 अनुमोदनार्थ।	
(iii)	सत्र 2020–21 के लिए शास्त्री/आचार्य स्तर पर पाठ्यक्रम संचालन बाबत् अस्थाई संबंद्धता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23(2)(ख) के अनुसार महाविद्यालयों की संबंद्धता के आवेदनों का निपटारा करने हेतु संबद्धता समिति की बैठक दिनांक 05.07.2021 की अनुशंषा उपरान्त निरीक्षण बोर्ड एवं कार्यपरिषद् की स्वीकारता की शर्त पर राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, दौसा को अस्थाई संबद्धता अभिवृद्धि प्रदान किये जाने हेतु शैक्षणिक शाखा के कार्यालय आदेश क्रमांक 1459–65 दिनांक 09.07.2021 अनुमोदनार्थ।	
67–4	वित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5(5)FD/Insurance/2020 dated 09-04-2021	कार्यपरिषद् सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया

	द्वारा राज्य सरकार/स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों की चिकित्सा सुविधाओं हेतु RGHS (Rajasthan Government Health Scheme) लागू की गई है। इसी क्रम में इस विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिकों हेतु RGHS लागू किये जाने का लेखाशाखा का कार्यालय आदेश क्रमांक 2462–64 दिनांक 13.08.2021 अनुमोदनार्थ।	गया।
67–5	M/s Nexgen Manpower Services Pvt. Ltd. Delhi को जॉब बेसिस पर सेवा निष्पादकों यथा कम्प्यूटर ऑपरेटर, एकाउन्टेन्ट, पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक कर्मचारी, प्लम्बर, इलैक्ट्रिशियन, हल्के वाहनों के ड्राईवार एवं चौकीदार/सिक्योरिटी गार्ड की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु दिये गये कार्यादेश क्रमांक 1430–34 दिनांक 09.07.2021 अनुमोदनार्थ।	कार्यपरिषद् सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
67–6	माननीय कुलपति महोदया द्वारा राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 की धारा 12(4)(1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा वर्ष 2020 के परीक्षार्थियों को अनुचित साधनों का प्रयोग करने के फलस्वरूप अनुचित साधन प्रकरण निस्तारण समिति की अभिशंषा के आधार पर दण्डित/दोषमुक्त करने का आदेश क्रमांक 473 दिनांक 26.07.2021 अनुमोदनार्थ।	कार्यपरिषद् सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
67–7	स्टोर शाखा से प्राप्त यू0ओ0नोट क्रमांक 3134 दिनांक 06.09.2021 के क्रम में विश्वविद्यालय के वाहन स्फ्टि डिजायर वीडीआई RJ14CN6485 को नाकारा घोषित किये जाने हेतु गठित समिति की बैठक का बैठक कार्यवाही विवरण एवं सर्वे की रिपोर्ट रिपोर्टिंग आईटम के रूप में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।	कार्यपरिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
67–8	विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत शिक्षण सत्र 2020–21 हेतु विश्वविद्यालय परिसर के विद्यार्थियों का सामूहिक दुर्घटनां बीमा दो लाख के लिये 20/–रूपये प्रति विद्यार्थी की दर से राज्य बीमा एवसं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से करवाये जाने हेतु निदेशक शैक्षणिक परिसर से प्राप्त पत्र क्रमांक 509–510 दिनांक 15.09.2021 अनुमोदनार्थ।	कार्यपरिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
67–9	परीक्षा 2021 एवं आगामी परीक्षाओं में 300 उत्तरपुस्तिकाओं से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के भुगतान के संबंध में परीक्षा नियंत्रक का यू0ओ0 नोट क्रमांक 643 दिनांक 15.09.2021 विचारार्थ/निर्णयार्थ।	प्रस्तुत प्रस्ताव को माननीय सदस्य कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
67–10	परीक्षा कार्मिकों को परीक्षा वर्ष 2018, 2019 एवं 2020 के परीक्षा कार्यो के पारिश्रमिक/मानदेय के भुगतान के संबंध में परीक्षा नियंत्रक का यू0ओ0 नोट क्रमांक 644 दिनांक 15.09.2021 विचारार्थ/निर्णयार्थ।	कार्यपरिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
67–11(i)	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक शाखा द्वारा जारी संशोधित	कार्यपरिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा

	कार्यालय आदेश क्रमांक 3908–13 दिनांक 27.09.2021 अनुसार सत्र 2021–22 हेतु कर्मकाण्ड पौरोहित्य पाठ्यक्रम संचालन बाबत् 1.टाईम्स एज्यूकेशन सोसायटी, हनुमानगढ 2.श्री राधा गोविन्द प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर 3.सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जसवन्तगढ़ एवं 4.करूणा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हनुमानगढ़ को अस्थाई सम्बद्धता में अभिवृद्धि प्रदान किये जाने की पुष्टि।	विचारविमर्श उपरान्त प्रस्तुत प्रस्तावों (67–11(i)-67–11(viii) तक) का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
(ii)	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक शाखा द्वारा जारी संशोधित कार्यालय आदेश क्रमांक 3915–20 दिनांक 27.09.2021 अनुसार सत्र 2021–22 हेतु ज्योतिष वास्तु डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन बाबत् 1.श्री राधा गोविन्द प्रशिक्षण केन्द्र, गोविन्द देवजी मन्दिर, 2.करूणा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, हनुमानगढ़ 3.ऋग्वेदीय राका वेद पाठशाला, बीकानेर को अस्थाई सम्बद्धता में अभिवृद्धि प्रदान किये जाने की पुष्टि।	
(iii)	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक शाखा द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 3779–85 दिनांक 23.09.2021 अनुसार सत्र 2021–22 हेतु शोध पाठ्यक्रम संचालन बाबत् 1. श्रीमती मोहरी देवी तापडिया शोध संस्थान, जसवन्तगढ, नागौर 2.विश्व गुरूदीप आश्रम शोध संस्थान, जयपुर 3.संस्कार रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डियन स्टडीज (शोध संस्थान) बगरू, जयपुर को प्राप्त आवेदन पत्रों पर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23(2)(ख) के अनुसार महाविद्यालयों की सम्बद्धता के आवेदनों का निपटारा करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 31.05.2021 व 24.08.2021 की अनुशंषा उपरान्त निरीक्षण बोर्ड एवं कार्यपरिषद् की स्वीकारता की शर्त पर सशर्त अस्थाई सम्बद्धता में अभिवृद्धि प्रदान किये जाने की पुष्टि।	
(iv)	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक शाखा द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 3771–77 दिनांक 23.09.2021 अनुसार सत्र 2021–22 हेतु पीजीडीसीए पाठ्यक्रम संचालन बाबत् 1.सेठ श्री सूरजमल तापडिया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जसवन्तगढ, नागौर 2.देव शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, मोदी की चौकी, सिविल लाईन्स, टोंक 3.संस्कार भारती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बगरू, जयपुर 4.लाल बहादुर शास्त्री शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोटा 5.विश्व भारती शिक्षाशास्त्री कॉलेज, सीकर 6.श्री परशुराम शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, गंगापुरसिटी को प्राप्त आवेदन पत्रों पर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23(2)(ख) के अनुसार महाविद्यालयों की सम्बद्धता के आवेदनों का निपटारा करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 04.09.2020 व 24.09.2020 की अनुशंषा उपरान्त	

	निरीक्षण बोर्ड एवं कार्यपरिषद् की स्वीकारता की शर्त पर सशर्त अस्थाई सम्बद्धता में अभिवृद्धि प्रदान किये जांने की पुष्टि।	
(v)	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक शाखा द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 3763–69 दिनांक 23.09.2021 अनुसार सत्र 2021–22 हेतु शास्त्री/आचार्य–शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम संचालन बाबत् कुल 21 महाविद्यालयों को प्राप्त आवेदन पत्रों पर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23(2)(ख) के अनुसार महाविद्यालयों की सम्बद्धता के आवेदनों का निपटारा करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 31.05.2021 व 24.08.2021 की अनुशंषा उपरान्त निरीक्षण बोर्ड एवं कार्यपरिषद् की स्वीकारता की शर्त पर सशर्त अस्थाई सम्बद्धता में अभिवृद्धि प्रदान किये जाने की पुष्टि।	
(vi)	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक शाखा द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 3755–61 दिनांक 23.09.2021 अनुसार सत्र 2021–22 हेतु एकवर्षीय योग डिप्लोमा पाठ्यक्रम (PGDYT)/त्रैमासिक योग सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (YIC) संचालन बाबत् कुल 31 महाविद्यालयों को प्राप्त आवेदन पत्रों पर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23(2)(ख) के अनुसार महाविद्यालयों की सम्बद्धता के आवेदनों का निपटारा करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 31.05.2021 व 24.08.2021 की अनुशंषा उपरान्त निरीक्षण बोर्ड एवं कार्यपरिषद् की स्वीकारता की शर्त पर सशर्त अस्थाई सम्बद्धता में अभिवृद्धि प्रदान किये जाने की पुष्टि।	
(vii)	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक शाखा द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 3748–53 दिनांक 23.09.2021 अनुसार सत्र 2021–22 हेतु शास्त्री–शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम संचालन बाबत् 1.श्री महर्षि दाधीच संस्कृत टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, कोटा 2.महला टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, खाटूश्याम जी रोड़, रींगस, सीकर 3.सीमा शिक्षाशास्त्री बी.एड. कॉलेज, अजमेर रोड़, परबतसर, नागौर 4.श्री अर्जुनराम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीकर को प्राप्त आवेदन पत्रों पर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23(2)(ख) के अनुसार महाविद्यालयों की सम्बद्धता के आवेदनों का निपटारा करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 31.05. 2021 व 24.08.2021 की अनुशंषा उपरान्त निरीक्षण बोर्ड एवं कार्यपरिषद् की स्वीकारता की शर्त पर सशर्त अस्थाई सम्बद्धता में अभिवृद्धि प्रदान किये जाने की पुष्टि।	
(viii)	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक शाखा द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 3732–38 दिनांक 23.09.2021 अनुसार सत्र 2021–22 हेतु शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम संचालन बाबत् कुल 56 महाविद्यालयों को प्राप्त आवेदन पत्रों	

	पर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23(2)(ख) के अनुसार महाविद्यालयों की सम्बद्धता के आवेदनों का निपटारा करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 31.05.2021 व 24.08.2021 की अनुशंषा उपरान्त निरीक्षण बोर्ड एवं कार्यपरिषद् की स्वीकारता की शर्त पर सशर्त अस्थाई सम्बद्धता में अभिवृद्धि प्रदान किये जाने की पुष्टि।	
67–12	विश्वविद्यालय के यू0ओ0नोट क्रमांक 4006 दिनांक 29.09.2021 अनुसार विश्वविद्यालय में जैम पोर्टल के माध्यम से विभिन्न फर्मों से कुल राशि रूपये 64,65,265.00 (अक्षरे राशि रूपये चौसठ लाख पैसठ हजार. दो सौ पैसठ मात्र) में क्रय की गई विभिन्न सामग्रीयों के क्रय स्पेसिफिकेशन, अपनायी गई प्रक्रिया, सत्यापन एवं भुगतान की कार्यवाही अनुमोदनार्थ।	कार्यपरिषद् सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
67–13	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक शाखा द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 4071–76 दिनांक 29.09.2021 अनुसार विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 29.09.2021 की अभिशंषा एवं माननीय कुलपति महोदया द्वारा अनुमोदन अनुसार ज्ञायक रूपारि देवि धूलजी भाई चेरिटेबल ट्रस्ट, बांसवाडा के अन्तर्गत संचालित ज्ञायक टी टी महाविद्यालय, बांसवाडा के शास्त्री शिक्षाशास्त्री चार वर्षीय पाठ्यक्रम की संबद्धता को सत्र 2021–22 से प्रत्याहारित करते हुए समान पाठ्यक्रम हेतु संचालित संस्था महला टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रींगस, सीकर, जो कि श्याम शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित है, की सहमति के अनुसार सत्र 2021–22 से ज्ञायक टी.टी. कॉलेज, बांसवाडा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को महला टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रींगस, सीकर में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति अनुमोदनार्थ।	कार्यपरिषद सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
67–14	माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका संख्या 13966/2016 श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता व अन्य बनाम राज. राज्य व अन्य विश्वविद्यालय के 11–कार्मिकों के द्वारा वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.03.2006 (परीवीक्षा अवधि 2–वर्ष के दौरान फिक्स वेतन) के विरूद्ध दायर की गयी। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.10.2016 को आदेश पारित कर प्रकरण गोपाल कुमावत बनाम राज0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 29.07.2015 के समान मानते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित एस एल पी राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत में दिये जाने वाले निर्णय को स्वीकार करने की शर्त पर स्वीकार की गई है। विश्वविद्यालय द्वारा समान प्रकरण में पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेशों के क्रम में याचिका संख्या 13068/2015 डॉ. संदीप जोशी व	कार्य परिषद् सर्वसम्मति से निर्णय लेती है कि चूंकि प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है, अतः मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

	अन्य बनाम राज. राज्य व अन्य (8–कार्मिक) तथा याचिका संख्या 13098/2018 श्री कुलदीप तिवाडी बनाम राज. राज्य व अन्य (1–कार्मिक) को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित एसएलपी में होने वाले निर्णय के अध्ययधीन 2–वर्ष की परीवीक्षाधीन अवधि का नियमित वेतनमान व अन्य समस्त परिलाभों का भुगतान कर दिया गया है। अतः याचिका संख्या 13966/2016 में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश दिनांक 19.10.2016 के अनुसरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित एसएलपी 25665/2015 राज. सरकार बनाम गोपाल कुमावत के अध्ययधीन याचिकाकर्ताओं को परीवीक्षाधीन अवधि का नियमित वेतनमान व अन्य परिलाभ भुगतान हेतु प्रकरण आगामी कार्यपरिषद् हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ ।	
67–15	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक शाखा द्वारा जारी संशोधित कार्यालय आदेश क्रमांक 4104–10 दिनांक 30.09.2021 की पुष्टि।	कार्यपरिषद् सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
67–16	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक शाखा के यू0ओ0नोट क्रमांक 4120 दिनांक 01.10.2021 के अनुसार विद्यापरिषद् की 29वीं बैठक दिनांक 06.09.2021 एवं गठित उप समिति की बैठक दिनांक 28.09.2021 एवं संबंधित पत्रावली पर संयाजक विद्यापरिषद्/संयोजक CBCS (श्री उमेश नेपाल) की टिप्पणियों अनुसार सत्र 2021–22 के विभिन्न पाठ्यक्रमों/नियमावली इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।	प्रकरण पर विस्तृत विचारविमर्श किया गया। विद्यापरिषद एवं गठित उप समिति की बैठक दिनांक 06.09.2021 एवं 28.09.2021 की अभिशंषा को मानते हुए समस्त पाठ्यकमों एवं नियमों को अनुमोदित किया गया एवं पाठ्यकम के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की विसंगतियों के निराकरण हेतु विद्यापरिषद में गठित उप समिति की अभिशंषा उपरान्त माननीया कुलपति महोदया के अनुमोदन उपरान्त लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।
67–17	विश्वविद्यालय के निदेशक, अनुसंधान केन्द्र के यू0ओ0नोट क्रमांक 5185 दिनांक 30.09.2021 के अनुसार अनुसंधान बोर्ड की बैठक दिनांक 24.09.2021 का बैठक कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ।	कार्यपरिषद् सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
67–18	विश्वविद्यालय के यू0ओ0नोट क्रमांक 4167 दिनांक 04.10.2021 के अन्तर्गत प्रस्तुत 10 प्रस्ताव विचारार्थ/निर्णयार्थ। 1– विश्वविद्यालय में सीएएस, विभिन्न भर्तियों , विद्यापरिषद एवं कार्यपरिषद, विशिष्ट व्याख्यान इत्यादि हेतु अतिथियों के पधारने पर जयपुर में ठहरने एवं खानपान की व्यवस्था हेतु विश्वविद्यालय में गेस्टहाउस उपलब्ध नहीं है। अतः निम्नांकित होटलों को विश्वविद्यालय में एम्पेनलमेंट किया जाना प्रस्तावित है, जिसका ठहरने एवं खानपान इत्यादि के बिल विश्वविद्यालय द्वारा देय होंगे–	विश्वविद्यालय में स्वयं का अतिथिगृह नहीं होने के फलस्वरूप अतिथियों को अन्य अतिथिगृह होटल में ठहराया जाता है। सरकारी अतिथिगृह एवं राजस्थान विश्वविद्यालय अतथिगृह को प्राथमिकता दी जावे। उक्त सरकारी अतिथिगृहों में उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में होटलों की ठहरने एवं खानपान की दरें सार्वजनिक रूप से संबंधित होटल की वेबसाईट एवं नोटिसबोर्ड पर उपलब्ध है। अतः

	1– होटल रामाडा(ग्रीन) जयसिंहपुरा, जयपुर 2– होटल शिवम, अजमेर रोड़ , जयपुर 3– होटल सफारी, रिद्धिसिद्धि चौराहा, जयपुर 4– होटल ग्राण्ड सफारी, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर	संबंधित होटलों में आवास,भोजन, नाश्ता इत्यादि की दरें अनुमोदित करते हुये आगन्तुकों के लिये होटलों को अनुमोदित किया गया। संबंधित आगंतुकों को उनकी पात्रता के अनुरूप उक्त होटलों में ठहराया जायेगा। साथ ही सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अतिथिगृह को तुरन्त रहने योग्य तैयार कराया जाये।
	2. विश्वविद्यालय के अंतर्गत बी.ए. योगा, त्रिबर्षीय पाठ्यक्रम एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रम (बीपीटी एवं अन्य) के डिप्लोमा/डिग्री हेतु सत्र 2022–23 से संबद्धता पूर्व में संचालित शास्त्री/शिक्षाशास्त्री/सामान्य स्नातक स्तर के महाविद्यालयों को दिये जाने हेतु प्रस्ताव नियमानुसार प्रस्तावित है–	विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीए योगा त्रिबर्षीय पाठ्यक्रम एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रम एवं अन्य डिप्लोमा/डिग्री हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के अंतर्गत सत्र 2022–23 से संबद्धता दिये जाने का निर्णय लिया गया।
	i–सम्बद्धता शुल्क बार्षिक एक लाख रु0 प्रति 40.00 विद्यार्थी ।	i–सम्बद्धता शुल्क वार्षिक 01 लाख रु0 प्रति 40.00 विद्यार्थी का अनुमोदन किया।
	ii– पूर्व मे संचालित शास्त्री, स्नातक/शिक्षा–स्नातक स्तर महाविद्यालयों को ही देय होगा।	ii–पूर्व में संचालित शास्त्री,स्नातक/ शिक्षा स्नातक स्तर के महाविद्यालयों को ही देय होगा, का अनुमोदन किया।
	3. विश्वविद्यालय में आगामी समय में NAAC का निरीक्षण नवीन पाठ्यक्रमों का संचालन किया जांना है। वर्तमान में उपलब्ध फर्नीचर, कम्प्यूटर इत्यादि सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अतः जैम पोर्टल के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में दिये गये कार्यादेश के कम में वर्ष 2021–22 हेतु उपलब्ध बजट/बचत से सभी जैम पोर्टल के दिये गये कार्यादेशों को 50 प्रतिशत की सीमा तक पुनः आदेश दिये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ।	3–सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
	4. विश्वविद्यालय के स्वयं के वाहनों में पैट्रोल/डीजल भरवाने हेतु पैट्रोल पम्प अधिकृत करने / अग्रिम राशि का भुगतान करने एवं नियमानुसार पैट्रोल पम्प को कूपन जारी करने का प्रस्ताव एवं विश्वविद्यालय जैनरेटर में डीजल हेतु भी पैट्रोल पंप को कूपन जारी करने का प्रकरण विचारार्थ ।	4. सर्वसम्मति से अनुमोदन किया चगया।
	5. श्री सोहनलाल यादव, डा0 सुभाष शर्मा, सहआचार्य, डा0 जगदीश नारायण विजय, प्रो0 अशोक कुमार	5- समान प्रकरणों में राजस्थान विश्वविद्यालय के नियमानुरूप

	तिवाड़ी, डा0 विनोद कुमार शर्मा, प्रो0 ताराशंकर शर्मा, प्रो0 राजेन्द्र कुमार मिश्र, श्री लम्बोदर मिश्र एवं डा0 राजधर मिश्र, जो 2005/2006 में राज्य सरकार में सेवारत रहते हुए इस विश्वविद्यालय में कार्य ग्रहण किया है, की सेवा निरन्तरता एवं पुरानी पेंशन एवं अन्य परिलाभ राज्य सरकार की सेवा के अनुसार देयता के संबंधित प्रकरणों को राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अनुरूप ही पुरानी पेंशन योजना, सामान्य प्रावधायी निधि फण्ड कटौती व अन्य परिलाभ देयता हेतु राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम,1996 के अनुसार ही पेंशन दिये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद में विचारार्थ प्रस्तुत है।	कार्यवाही हेतु अनुमोदन किया।
	6. विश्वविद्यालय सम्बद्ध शास्त्री/आचार्य/शिक्षा शास्त्री महाविद्यालयों को स्थायी मान्यता सत्र 2022–23 से दिये जाने के संबंध में पूर्व में प्रसारित सभी आदेशों को प्रत्याहारित करते हुये एन.ई.पी.–2020 के दृष्टिगत निम्नानुसार नियम प्रस्तावित हैं– 1–महाविद्यालय 05 वर्ष से संबद्ध होना आवश्यक है। 2–स्थायी सम्बद्धता शुल्क साधारण शुल्क का तिगुना देय होगा। 3–संस्था का ऑनलाईन निरीक्षण उपरान्त प्रकरण पर निर्णय लिया जायेगा।	6– सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया ।
	7. विश्वविद्यालय में शोधोपाधि (पीएचडी) हेतु निम्नानुसार अभिवृद्धि 2021–22 से प्रस्तावित है– आवेदन–शुल्क– रु0 2000/–, पाठ्यक्रम शुल्क– रु0 30,000/– के स्थान पर 50,000/–	7– सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
	8– विश्वविद्यालय में 2021 से प्रारम्भ होने वाले डी. लिट्. पाठ्यक्रम के आवेदन शुल्क रु0 5000 एवं सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का शुल्क रुपये एक लाख प्रस्तावित है।	8– सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
	9. विश्वविद्यालय में शोध गाईडों की संख्या में अभिवृद्धि हेतु संबद्ध राजकीय/निजी महाविद्यालय जिनमें कार्यरत शिक्षकगण जिन्होंने पांच बर्ष की सेवावधि पूर्ण कर ली है एवं वेतन से पीएफ की कटौती नियमित रूप से होती है, साथ ही यूजीसी के नियमों की पूर्ण पालना करते हैं, को पीएचडी गाईड सम्बद्ध विषय में बनाये जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ ।	9– सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
	10. विश्वविद्यालय में विशिष्ट शिक्षा स्नातक/एसटीसी पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने हेतु नियमानुसार राज्य सरकार/भारतसरकार/ सम्बन्धित विभाग में आवेदन करने का प्रकरण विचारार्थ।	10– सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

67–19	विश्वविद्यालय के यू0ओ0नोट क्रमांक 4169 दिनांक 04.10.2021 के अन्तर्गत प्रस्तुत 02 प्रस्ताव विचारार्थ / निर्णयार्थ– 1– सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत जो कार्य विश्वविद्यालय में होने है, उनकी निविदाओं में तकनीकी समस्याओं के कारण कार्यादेश इत्यादि नहीं हो पा रहे है। ऐसी स्थिति में अन्य ऐजेन्सी को कार्य आवंटन करने अथवा पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यादेश के बारे में उचित निर्णय लिया जाना है। 2–विश्वविद्यालय की खाली पड़ी भूमि में शेयरिंग बेस पर कृषि कार्य करने, गोशाला स्थापित करने के संबंध में नियमानुसार अनुबंध करने हेतु प्रकरण विचारार्थ ।	1– विभिन्न कार्य हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय के अभियन्ता / आवास विकास संस्था / राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड से कार्य कराये जाने का निर्णय लिया गया। 2– नियमानुसार कार्यवाही हेतु कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक को अधिकृत किया गया।
67–20	विश्वविद्यालय के यू0ओ0नोट क्रमांक 4168 दिनांक 04.10.2021 के अनुसार महाविद्यालयों के ऑनलाईन निरीक्षण करने पर ऑनलाईन निरीक्षण समिति व तकनीकी सहायक, निरीक्षण दल समिति तथा अशैक्षणिक कार्मिक को मानदेय भुगतान प्रस्ताव विचारार्थ / निर्णयार्थ।	कार्यपरिषद द्वारा आगामी वर्षो में निरीक्षण दल के प्रति सदस्य को 500 रु0 प्रति निरीक्षण, शाखा–प्रभारी को रु0 300 प्रति संस्था एवं सहयोगी अशैक्षणिक कार्मिक को रु0 200 प्रति संस्था, अधिकतम राशि रु0 40 हजार का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
67–21	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक शाखा द्वारा जारी संशोधित कार्यालय आदेश क्रमांक 4174–81 दिनांक 04.10.2021 अनुसार सत्र 2021–22 हेतु पीजीडीसीए पाठ्यक्रम संचालन बाबत् 06 महाविद्यालयों को अस्थाई सम्बद्धता में अभिवृद्धि प्रदान किये जाने की पुष्टि।	कार्यपरिषद् सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
67–22	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक शाखा द्वारा जारी संशोधित कार्यालय आदेश क्रमांक 4182–89 दिनांक 04.10.2021 अनुसार सत्र 2021–22 हेतु पीजीडीवाईटी पाठ्यक्रम संचालन बाबत् 31 महाविद्यालयों को अस्थाई सम्बद्धता में अभिवृद्धि प्रदान किये जाने की पुष्टि।	कार्यपरिषद् सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
67–23	प्रो0 अशोक कुमार तिवाडी, सेवानिवृत्त आचार्य नव्य व्याकरण के द्वारा पूर्व विभाग में सीसीए 16 के तहत दिये गये दण्डादेश के तथ्य को विश्वविद्यालय में नियुक्ति हेतु आवेदन करते समय छुपाने के संबंध में आगामी कार्यवाही हेतु प्रकरण विचारार्थ।	प्रस्तुत प्रकरण में कार्यपरिषद् सर्वसम्मति से प्रस्तावित करती है कि प्रो0 अशोक कुमार तिवाड़ी को सेवानिवृत्त हुये दो वर्ष से अधिक का समय हो चुका है,अतः इनके विरुद्ध लंबित समस्त कार्यवाहियों को निरस्त करते हुये नियमानुसार सेवानिवृत्ति के लाभ दिये जावें।
67–24	श्री रामकिशोर शर्मा, सेवानिवृत्त व0लि0 (राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर के अधिशेष कार्मिक, विश्वविद्यालय में समायोजन दिनांक 22.12.2006) द्वारा विश्वविद्यालय में की गई सेवायें एवं पूर्व पैतृक विभाग की सेवाओं को पुरानी पेंशन स्कीम / नवीन अंशदायी पेंशन योजना के	प्रस्तुत प्रकरण में कार्यपरिषद् सर्वसम्माति से यह निर्णय लेती है कि श्री रामकिशोर शर्मा, सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिक को विश्वविद्यालय में की गई सेवा एवं पैतृक विभाग की सेवा को जोड़ते हुये, पुरानी पेंशन

Helpline No:- +91 7597122440

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड, जयपुर (राज.) - 302026

वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई-मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्सः 0141-2850551-75

	अन्तर्गत स्वीकृत करने का प्रकरण विचारार्थ।	योजना का लाभ प्रदान किया जावे।
67–25	श्री सुभाष अग्रवाल, कार्यालय सहायक (राजस्थान स्टेट हैंण्डलूम डवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर के अधिशेष कार्मिक विश्वविद्यालय में समायोजन दिनांक 22.12.2006) द्वारा विश्वविद्यालय में की गई सेवायें एवं पूर्व पैतृक विभाग की सेवाओं को पुरानी पेंशन स्कीम/नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत करने का प्रकरण विचारार्थ।	प्रस्तुत प्रकरण में कार्यपरिषद् सर्वसम्मति से यह निर्णय लेती है कि श्री सुभाष अग्रवाल, कार्यालय सहायक को विश्वविद्यालय में की गई सेवा एवं उनके पैतृक विभाग की सेवा को जोड़ते हुये, पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जावे।
67–26	श्री रतन सिंह, क0लि0 (राजस्थान स्टेट हैंण्डलूम डवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर के अधिशेष कार्मिक, विश्वविद्यालय में समायोजन दिनांक 22.12.2006) द्वारा विश्वविद्यालय में की गई सेवायें एवं पूर्व पैतृक विभाग की सेवाओं को पुरानी पेंशन स्कीम/नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत करने का प्रकरण विचारार्थ।	प्रस्तुत प्रकरण में कार्यपरिषद् सर्वसम्मति से यह निर्णय लेती है कि श्री रतनसिंह, क0 लिपिक को विश्वविद्यालय में की गई सेवा एवं उनके पैतृक विभाग की सेवा को जोड़ते हुये, पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जावे।
67–27	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक शाखा द्वारा जारी यू0ओ0नोट क्रमांक 4190 दिनांक 04.10.2021 अनुसार शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम संचालन बाबत् 03 महाविद्यालयों को स्थाई मान्यता प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ/निर्णयार्थ। 1– श्रीगणेश कॉलेज , चुड़ीना 2– आर.एन. टी. ट्रेनिंग कॉलेज, कपासन 3– विवेकानन्द टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज,डबोक,उदयपुर	कार्यपरिषद् में संबंधित तीनों महाविद्यालयों के संबंध में विस्तृत विचारविमर्श किया गया। संकायाध्यक्ष, शिक्षा एवं सदस्य, कार्यपरिषद् डा0 माता प्रसाद शर्मा ने सुझाव दिया कि संबंधित तीनों महाविद्यालयों का वर्तमान में ऑनलाईन निरीक्षण विश्वविद्यालय में इस हेतु गठित कमेटी से करवाया जाकर निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर सत्र 2017–18 से स्थायी सम्ब्द्धता प्रदान की जावे। सम्ब्द्धता हेतु संबंधित महाविद्यालय के अध्यक्ष/सचिव से रु0 500 का नॉन–जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लिया जावे कि वे एनसीटीई, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय के समस्त मानदण्ड एवं शर्तें तत्समय से ही पूर्ण करते हैं। पूर्व में भी इसी प्रकार से सम्बद्धता दी गयी है। इस हेतु सर्वसम्मति से कुलपति महोदया को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
	अन्य बिन्दू आसन की अनुमति से	
67–28	विश्वविद्यालय अध्यापकों को सी.ए.एस. के अंतर्गत देय लाभ–परिलाभ	प्रस्तुत प्रकरण में कार्यपरिषद् सर्वसम्मति से यह निर्णय लेती है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रस्ताव 2010 को लागू कर अध्यापकों को सीएएस के अंतर्गत प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार से अनुमति ली जाकर चयन समिति की बैठक बुलाई जाये। यदि राज्यसरकार विश्वविद्यालय

		अनुदान आयोग के प्रस्ताव 2018 को लागू मानती है, तो तदनुसार कार्यवाही करने का अनुमोदन किया गया।
67–29	श्री उमेश नेपाल का पीएचडी–प्रकरण ।	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद सर्वसम्मति से श्री उमेश नेपाल, सहायक आचार्य, साहित्य के प्रार्थनापत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये उनकी पीएचडी डिग्री को उनके अकादमिक–रिकार्ड में जुड़वाये जाने की स्वीकृति प्रदान करती है। साथ ही श्री नेपाल को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में विश्वविद्यालय से भिन्न किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों में सम्मिलित होने के लिये उन्हें विश्वविद्यालय से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
67–30	कार्यपरिषद् का कार्यवृत्त निश्चित समयावधि में जारी करना ।	इस सन्दर्भ में कार्यपरिषद् सर्वसम्मति से यह निर्णय करती है कि विश्वविद्यालय की आयोजित होने वाली विभिन्न बैठकों का कार्यवृत्त 15 दिवस के अंदर तैयार किया जाकर सभी संबंधित सदस्यों को प्रेषित कर दिया जाये तथा पुष्टि उपरान्त एक माह की अवधि में इसकी अनुपालना सुनिश्चित की जाये। साथ ही यह कि किसी भी आकस्मिक स्थिति में कुलपति महोदया को अधिकृत किया जाता है कि वह कार्यपरिषद् का कार्यवृत्त किसी भी व्यक्ति, जो सहायक कुलसचिव–पद के स्तर से कम का न हो, के माध्यम से जारी एवं उसका अनुपालन करवा सकती हैं।
67–31	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ से संबंधित, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत देय सूचना के कम में ।	कार्यपरिषद् सर्वसम्मति से यह निर्णय लेती है कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ के शैक्षणिक–जीवन अथवा कार्य से संबंधित प्राप्त किसी भी प्रकार की आर.टी.आई. का प्रत्युत्तर बिना संबंधित उस कार्मिक की सहमति के, प्रदान नहीं की जाएगी, यदि कोई भी विश्वविद्यालय–कार्मिक इस नियम का उल्लंघन करता है तो, उसके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

67–32	विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों को उनके पद का वेतनमान राज्यसरकार के समकक्ष प्रदान किये जाने के संबंध में ।	श्री सर्वेश कुमार शर्मा, निजीसचिव, कुलपति की पदोन्नति प्रकरण पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। समिति ने यह पाया कि वर्ष 2011 में श्री शर्मा को दी गयी पदोन्नति में संपूर्ण नियमों की पालना की गयी है, तथा प्रकरण को अनावश्यक ही राज्यसरकार को भेजा गया। श्री सर्वेश कुमार शर्मा के प्रस्तुत प्रकरण में कार्य परिषद् सर्वसम्मति से यह निर्णय लेती है कि श्री शर्मा को निजीसचिव पद पर की गयी पदोन्नति के फलस्वरूप राज्यसरकार के समान निजीसचिव पद का वेतनमान, लाभ–परिलाभ इत्यादि पदोन्नति दिनांक से प्रदान किये जावें। इसके साथ ही श्री कुलदीप तिवाड़ी कम्प्यूटर–प्रोग्रामर के पदोन्नति प्रकरण पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। समिति ने यह पाया कि वर्ष 2011 में श्री तिवाड़ी को कम्प्यूटर–प्रोग्रामर पद पर दी गयी पदोन्नति में संपूर्ण नियमों की पालना की गयी है, तथा प्रकरण को अनावश्यक ही राज्यसरकार में भेजा गया। श्री तिवाड़ी के प्रस्तुत प्रकरण में कार्य परिषद् सर्वसम्मति से यह निर्णय लेती है कि श्री तिवाड़ी को कम्प्यूटर प्रोग्रामर पद पर की गयी पदोन्नति के फलस्वरूप राज्यसरकार के समान कम्प्यूटर–प्रोग्रामर पद का वेतनमान, लाभ–परिलाभ इत्यादि पदोन्नति दिनांक से प्रदान किये जावें।
67–33	विश्वविद्यलय–संघटक महाविद्यालय बनाये जाने के संबंध में ।	कार्यपरिषद् सर्वसम्मति से यह निर्णय लेती है कि विश्वविद्यालय द्वारा शासन से आग्रह किया जाये कि राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, महापुरा और राजकीय महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर को विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय घोषित किया जाये तथा

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड, जयपुर (राज.) - 302026
वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्स: 0141 -2850551–75

		राजकीय महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर को विश्वविद्यालय का सिटी कैम्पस घोषित किया जाय।
67–34	विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत नवीन विभाग/ पाठ्यक्रम संचालित कराये जाने के संबंध में।	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् सर्वसम्मति से यह निर्णय लेती है कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय में विभिन्न एकीकृत–पाछ्यक्रम (इण्टीग्रेटेड–कोर्सेज) यथा– संगीत, विज्ञान– गणित, वनस्पति–शास्त्र, रसायनशास्त्र, जीव–विज्ञान, गृह–विज्ञान) कला एवं संस्कृति, सांस्कृतिक–पर्यटन, राजनीति–विज्ञान, शिक्षा,सामाजिक कार्य (एसयूपीडब्ल्यू) प्राचीन–इतिहास एवं पुरातत्व, तुलनॉत्मक भाषा विज्ञान, तुलनात्मक धर्म दर्शन, बौद्ध अध्ययन विभाग, प्राकृत एवं जैन आगम विभाग तथा आयुर्वेद आदि विभिन्न प्रकार के अन्य विषय भी स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के सम्मिलित किये जाकर संचालित किये जायें।
	अंत में धन्यवाद के साथ आसन की अनुमति से बैठक सम्पन्न हुई।	

(उम्मेद सिंह)
R.Ac.S
वित्त नियंत्रक एवं
कार्यवाहक कुलसचिव

22.10.21
(प्रो0 अनुला मौर्य)
कुलपति एवं अध्यक्ष कार्यपरिषद्

क्रमांक : प ( ) जरारासंविवि/ शै.मी./21/ 4918 – 4924 दिनांक:– 10/XI/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 सचिव महोदय, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर।
2 सचिव महोदय, संस्कृत शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4 निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, जरारासंविवि, जयपुर।
5 कार्यपरिषद् के समस्त सदस्य, ज.रा.रा.सं.वि.वि., जयपुर।
6 प्रभारी, वेबसाइट को भेजकर लेख है कि उक्त बैठक कार्यवाही विवरण को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करावें।
7 वित्त नियंत्रक/परीक्षा नियंत्रक/निदेशक शैक्षणिक परिसर/सहायक कुलसचिव (सा0प्र0, संस्थापन, शैक्ष0) को भेजकर लेख है कि अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं की पालना अविलम्ब सुनिश्चित करावें।

कुलसचिव